# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## मार्च, 2022 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

### गुरूवार,दिनांक 10 मार्च, 2022 (फाल्गुन 19, 1943)

### समय 11:00 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2018–19 तथा छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2019–20 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(3) श्रीमती अनिला भेंड़िया, महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगी।

(4) श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

(5) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5–9/आठ–परि./2021, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः .... 2

(6) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 (1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक) पटल पर रखेंगे।

(7) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) पटल पर रखेंगे।

(8) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :–

(i) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का संतावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 (दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021),

(ii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासपुर का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21,

(iii) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 (1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021),

(iv) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़, का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 (दिनांक 25 नवंबर, 2020 से 30 जून, 2021),

(v) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का षष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदन (1जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021) तथा

(vi) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2020–21 पटल पर रखेंगे।

## 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री सौरभ सिंह, नारायण चंदेल, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, कोरबा जिले के सड़क निर्माण में भू–अर्जन से प्रभावित कृषकों पर अपराध पंजीबद्ध किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत केरेगांव, थाना डोंगरगांव निवासी द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री संतराम नेताम, सदस्य, प्रदेश में अमानक दवाओं की खरीदी किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, बलरामपुर एवं रामानुजगंज के भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा तालाब निर्माण दर्शाकर फर्जी तरीके से शासकीय राशि का आहरण किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः .... 3

## 4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 10, अम्बिकापुर के सदस्य, श्री टी.एस. सिंहदेव को मार्च, 2022 सत्र में दिनांक 08 मार्च, 2022 से दिनांक 16 मार्च, 2022 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

## 5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

## 6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, जिला–धमतरी अंतर्गत ग्राम नारी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने,

(2) श्री मोहन मरकाम, सदस्य, जिला–कोण्डागांव अंतर्गत ग्राम बड़बत्तर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने,

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला–जांजगीर–चांपा अंतर्गत –

(i) ग्राम परसदा (रे.) में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम चंगोरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम कुरमा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,

(4) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम कसावाही में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ii) जिला अस्पताल धमतरी में आई.सी.यू. की सुविधा उपलब्ध कराने,

(iii) ग्राम पोटियाडीह में हाईस्कूल भवन निर्माण करने,

(iv) ग्राम देवरी में हाईस्कूल भवन निर्माण करने,

(v) नगर पंचायत आमदी में बाईपास सड़क निर्माण करने तथा

(vi) ग्राम सेमरा में देवरी नाल पर स्टापडेम निर्माण करने

**के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

क्रमशः .... 4

## 7. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ–नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223–ख के उप नियम (1) तथा 223–ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2022–2023 की अवधि के लिये अपने में से क्रमशः नौ–नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

## 8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"'सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम– 234– ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2022–2023 की अवधि के लिये अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन–तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

## 9. वित्तीय वर्ष 2022–2023 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 09 मार्च, 2022